

उत्तर प्रदेश शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7
संख्या-856/15-7-2023
लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

माउन्ट लिटरा जी स्कूल, एन0एच0-58, रूड़की रोड, मोदीपुरम्, मेरठ को शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007, दिनांक 14.07.2009 के क्रम में सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ के पत्र संख्या-3473/मंस0(126)/2013, दिनांक 27-06-2013 द्वारा सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी।

2- माउन्ट लिटरा जी स्कूल, एन0एच0-58, रूड़की रोड, मोदीपुरम्, मेरठ का नाम परिवर्तित कर रोम्बस वर्ल्ड स्कूल एन0एच0-58 रूड़की रोड, मोदीपुरम्, मेरठ किये जाने के संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ के पत्र संख्या-एन0ओ0सी0-3402-07/2023-24, दिनांक 24.06.2023 द्वारा प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त हुई। उक्त प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त "माउन्ट लिटरा जी स्कूल, एन0एच0-58, रूड़की रोड, मोदीपुरम्, मेरठ" का नाम परिवर्तित कर "रोम्बस वर्ल्ड स्कूल एन0एच0-58 रूड़की रोड, मोदीपुरम्, मेरठ" किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।


3- तदनुसार पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007, दिनांक 14.07.2009 एवं सचिव (मण्डलीय समिति) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ के पत्र संख्या-3473/मंस0(126)/2013, दिनांक 27-06-2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

कृपा शंकर यादव
उप सचिव।

संख्या- 856 (1)/15-7-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- ✓ 1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र, समुदाय केन्द्र-2, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, मेरठ।
- 4- संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- प्रबन्धक, माउन्ट लिटरा जी स्कूल, एन0एच0-58, रूड़की रोड, मोदीपुरम्, मेरठ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक/प्रबन्ध/एम/

/2022-23 दिनांक:- 06-12-2022

(कार्यालय-आदेश)

कार्यालय पत्रांक/प्रबन्ध/मान्यता/12589-93/2018-19 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा माउन्ट लिटरा जी स्कूल मोदीपुरम, मेरठ को नर्सरी से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की शैक्षिक सत्र-2019-20 से शैक्षिक सत्र 2021-22 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

विद्यालय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 05.12.2022 के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-418/79-6-2013-8 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्राविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए पत्रांक/प्रबन्ध/मान्यता/12589-93/2018-19 दिनांक 24.12.2018 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

(योगेन्द्र कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

पृ0सं0/प्रबन्ध/एम/ 8014-17

/2022-23 दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल, मेरठ।
4. प्रबन्धक, माउन्ट लिटरा जी स्कूल मोदीपुरम, मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।